न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 40/2022
जीसीएमएचः– 2022/65

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.भीखाराम पुत्र प्रेमाराम जाति कलबी निवासी सांकड़ तहसील सांचौर जिला सांचौर (राज.)		2. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर जिला सांचौर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956
उपस्थितः– **तारीख रजूः– 20.07.2022**

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीमशॉह ।
4. अप्रार्थी राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।

निर्णय **दिनांक 18.06.2024**

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट,1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड तहसील सांचौर में स्थित खातेदारी भूमि से लगती भूमि खसरा नम्बर 2400/1407 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि गै.मु. बाड़ा के रूप में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का कदीमी कब्जा–रहवास एवं आवासीय मकानात बने हुए है। राजस्व कार्मिको ने लिपिकीय त्रृुटि से उक्त खसरा भौमिक जगह से थोड़ा दूर रेकर्ड में तरमीम कर दिया है, जबकि तरमीम वाली जगह खाली है एवं वास्तविक कब्जे एवं रहवास की भूमि ही रेकर्ड में दर्ज की जानी थी, अतः लिपिकीय त्रृटि को तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की जानी चाहिए।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान–2001 के दौरान ग्राम सांकड़ के मूल खसरा नम्बर 1407 रकबा0.15 हैक्टयर किस्म गै.मु.गोचर से नियमन कमेटी द्वारा नियमन कर पृथक खसरा नम्बर 2400/1407 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म गै.मु.बाड़ा दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किया गया। तद्नुसार नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित की गई, जिसकी नकल संलग्न है। वर्तमान तरमीम एवं नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम में कोई अन्तर नही है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील प्रार्थी एवं राज पैरोकार सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन–अवालेकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राजपैरोकार पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया गया। प्रार्थी पूर्व में तरमीम शुद्वा खसरा नम्बर 2400/1407 रकबा 0.08 हैक्टयर किस्म गै.मु.बाड़े की अन्यत्र तरमीम चाहता है। नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 29.01.2002 की पुश्त पर अंकित तरमीम वर्तमान तरमीम के एकदम समान है। धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 भू–अभिलेख अधिकारियों को लिपिकीय त्रृटि की शुद्वियों के लिए अधिकार प्रदान करती है। इसका दायरा सीमित है। प्रार्थी पूर्व की तरमीम को अन्यत्र करवाना चाहते है। पूर्व की तरमीम अंकित करने में राजस्व कार्मिकों ने कोई त्रृटि कारित की है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 सारवान नही होने एवं दस्तावेजों साक्ष्यों से सावित नही होने से खारिज/अस्वीकार करना हम विधिसम्मत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 सावित नही होने एवं सारवान नही होने से खारिज/अस्वकीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 18.06.2024 .को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर